राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1878–पीबीआर/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 1–8–2011 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 9/निगरानी/2010–11.

श्रीमती आशा देवी त्रिपाठी पत्नी आर.पी. त्रिपाठी
निवासी जी–5/50, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल
हाल मुकाम ग्राम नीलबड़
तहसील हुजूर, जिला भोपाल .....आवेदिका

विरूद्ध

रामनारायण वर्मा आत्मज श्रीकृष्ण वर्मा
निवासी म.नं. 137, कोटरा
सुल्तानाबाद, भोपाल .....अनावेदक

श्री डी.एस. चौहान, अभिभाषक, आवेदिका
श्री अनिल कुमार, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::
(पारित दिनांक 30 मई, 2014)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–8–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसील न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण कमांक 97/अ–6/2009–10 में दिनांक 10–5–2010 को आवेदिका के सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । तहसीलदार के इस अंतरिम आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अपर कलेक्टर, भोपाल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 8–7–2010 को आदेश पारित कर इस निर्देश के साथ कि आवेदिका तहसील न्यायालय में एक पक्षीय कार्यवाही के विरूद्ध आवेदन पत्र प्रस्तुत करे, निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 1–8–2011 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका को प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय का प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है, और इसके संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद लंबित है । यह भी कहा गया कि अनावेदक तथाकथित विक्रय पत्र के आधार पर 14 वर्ष के उपरांत बाला–बाला नामांतरण कराना चाहता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा बिना आवेदिका को सुने एकपक्षीय आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा की गई एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु तहसीलदार के समक्ष ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था, किन्तु प्रकरण को अनावश्यक लंबित रखने के उद्देश्य से आवेदिका द्वारा निगरानी दर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है, जो कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि 14 वर्ष पश्चात नामांतरण कराने संबंधी आपत्ति तहसील न्यायालय में ही प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 10–5–2010 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदिका के सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । संहिता की धारा

35 (3) में एकपक्षयीय कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु आवेदन पत्र उसी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है परन्तु आवेदिका द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही नहीं कर निगरानी दर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है, इससे अनावेदक के विद्वान अभिभाषक के इस तर्क को बल प्राप्त होता है कि आवेदिका द्वारा तहसील न्यायालय में प्रकरण लंबित रखने के उद्देश्य से निगरानी दर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है । इस संबंध में अपर कलेक्टर द्वारा पूर्व में ही आवेदिका को राहत प्रदान कर दी थी कि वह तहसील न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकती है, इसके बावजूद भी आवेदिका द्वारा उक्त कार्यवाही नहीं कर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । इसी कारण आयुक्त द्वारा इस आशय का निष्कर्ष निकालते हुए कि आवेदिका को अपर कलेक्टर से प्रारंभिक उपचार प्राप्त हो गया था कि एक पक्षीय किये जाने के विरूद्ध आवेदन पत्र प्रस्तुत करे, किन्तु फिर भी उसका एक ओर निगरानी प्रस्तुत करना अवांछनीय है, आवेदिका पर 500/– रूपये की कॉस्ट आरोपित कर निगरानी निरस्त की गई है । इस प्रकार आयुक्त द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–8–2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर